



# न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-46 / 2017-18  
 कृष्ण कन्हैया महतो वगैरह बनाम यशोदा देवी वगैरह  
 (Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20/9/19	<p style="text-align: center;"><u>संशोधित आदेश</u></p> <p>आवेदक की ओर से दिनांक-12.09.2019 को आवेदन दाखिल गया। जिसमें आवेदक के द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त वाद में दिनांक-13.08.2019 को आदेश पारित किया गया है। जिसमें निम्नलिखित त्रुटियां हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आदेश के पृष्ठ-2 के छठे लाईन में 30.02.2017 के स्थान पर 30.03.2017 होना चाहिए।</li> <li>2. आदेश के अंतिम पृष्ठ के तीसरे लाईन में 13.01.2017 के स्थान पर 30.03.2017 होना चाहिये।</li> <li>3. इस आदेश के पृष्ठ-4 के 9 वे लाईन में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के स्थान पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी होना चाहिये।</li> </ol> <p>क्योंकि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के विविध वाद सं० 32 / 2016-17 में दिनांक-30.03.2017 को ही आदेश पारित हुआ है।</p> <p>अतः सिविल दण्ड प्रक्रिया-152 एवं 153 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में प्रश्नगत आदेश का पृष्ठ-02 में अंकित 30.02.2017 के स्थान पर 30.03.2017, आदेश के अंतिम पृष्ठ के तीसरे लाईन में 13.01.2017 के स्थान पर 30.03.2017 एवं आदेश पृष्ठ-04 के 9 वें लाईन में टंकित भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी किया जाता है।</p> <p>यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               (राजीव कुमार श्रीवास्तव)              अपर समाहर्ता, पटना।         </div> <div style="text-align: center;">               (राजीव कुमार श्रीवास्तव)              अपर समाहर्ता, पटना।         </div> </div>	